न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012 पुनरीक्षण — R. 3337- II/12

शत्रुधन प्रसाद तनय श्री कृष्ण पाण्डे

निवासी ग्राम–हिड़वार तहसील मऊगंज

जिला–रीवा

विरूद्ध

1 मध्यप्रदेश शासन

2 श्यामाचरण तनय राधा कृष्ण ब्राहम्ण

निवासी ग्राम–हिड़वार तहसील मऊगंज

जिला–रीवा

तहसीलदार, तहसील मऊगंज द्वारा प्रकरण क्रं./26–अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22–8–2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदन निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि प्रकरण में विवादित भूमि के भूमि स्वामी सूर्यदीन थे सूर्यदीन की उत्तराधिकारी नें आवेदन को अपनी भूमि कृषि कार्य हेतु लगभग 30–40 वर्ष पूर्व दी थी. उस सनय से आज तक आवेदक का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है राजस्व अभिलेखों में आवेदक का आधिपत्य अंकित है.

2. यह कि अनावेदक–2 नें तथा कथित अन्तरण के आधार पर वर्ष 1994 में नामांतरण पंजी पर नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की जो दिनांक 14–1–1994 को निरस्त हो गयी.

3. यह कि अनावेदक–2 ने पुनः नामांतरण हेतु आवेदन दिया उक्त आवेदन पर प्रारंभ किया गया नामांतरण प्रकरण क्रमांक 214–अ–6/2004–05 दिनांक 7–11–2005 को निरस्त कर दिया गया. अनावेदक–2 नें तहसील आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की उक्त अपील क्रमांक 81–अ–6/2006–07 दिनांक 7–10–2008 को स्वीकार की गयी तथा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया.

(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3337/II/12 रामप्रधान / म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
09/01/19	आवेदक की ओर से श्री एस. के. वाजपेयी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 26/अ-70/11-12 में पारित आदेश दिनांक 22-8-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22/04/19 को कलेक्टर जिला- रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	